**भारत सरकार**

**वस्‍त्र मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3010**

**19 मार्च, 2020 को उत्‍तर दिए जाने के लिए**

**कपास व्यापार नीतियों में हस्तक्षेप**

**3010. श्री संजय सिंहः**

**क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क)** क्या यह सच है कि साउथ इंडिया मिल्स एसोसिएशन (एसआईएमए) ने वस्त्र मंत्रालय से कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) की कपास व्यापार नीतियों में हस्तक्षेप करने का निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार किस प्रकार से हस्तक्षेप करने की योजना बना रही है; और

(ग) क्या सरकार का बाजार को प्रतिस्पर्धात्‍मक बनाने के लिए कीमत को विनियमित करने का विचार है?

**उत्‍तर**

**वस्‍त्र मंत्री**

**(श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)**

**(क) से (ख):** जी हां। अध्‍यक्ष, साऊथ इंडियन मिल संघ (एसआईएमए) से एक अभ्‍यावेदन प्राप्‍त हुआ जिसमें नियमित आधार पर ई-नीलामी के माध्‍यम से प्रचलित बाजार मूल्‍यों पर कपास की पेशकश करने और बड़ी मात्रा में कपास की जमाखोरी से बचने के लिए भारतीय कपास निगम (सीसीआई) से निर्देश देने का अनुरोध किया है। इस संबंध में यह उल्‍लेखनीय है कि अच्‍छी औसत गुणवत्‍ता (एफएक्‍यू) ग्रेड कपास का मूल्‍य एमएसपी स्‍तर से नीचे गिरता तो सीसीआई न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) अभियान की शुरूआत करता है और विभिन्‍न कृषि उत्‍पाद, बाजार समिति (एपीएमसी) यार्ड में कपास किसानों द्वारा एफएक्‍यू ग्रेड कपास की संपूर्ण मात्रा की खरीद एमएसपी दर पर की जाती है। एमएसपी अभियान के अंतर्गत खरीदी गई एफएक्‍यू ग्रेड कपास की गुणवत्‍ता अच्‍छी है जिसका मूल्‍य अधिक है। एमएसपी अभियान के अंतर्गत सीसीआई द्वारा खरीदा गया कपास ई-नीलामी के माध्‍यम से दैनिक आधार पर उद्योग के लिए उपलब्‍ध कराया जाता है। यह प्रणाली पारदर्शी है और सीसीआई की मूल्‍य निर्धारण नीति मूल्‍य आधारित है।

सीसीआई का प्रयास रहा है किएमएसएमई इकाइयों, सहकारियों और संस्‍थागत क्रेताओं सहित घरेलू वस्‍त्र उद्योग को प्रतिस्‍पर्धी दरों पर अच्‍छी गुणवत्‍ता वाली कपास की उपलब्‍धता सुनिश्चित की जाए प्रतिस्‍पर्धी दरों पर कपास खरीदने के लिए मिलों को सक्षम बनाने के हेतु सीसीआई ने 2018-19 के स्‍टॉक हेतु भारी छूट योजना शुरू की है जो 500 गांठ की न्‍यूनतम मात्रा की खरीद पर लागू है। सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम (एमएसएमई) केवीआईसी और सहकारी मिलें कम से 100 गांठे की मात्रा खरीदने पर भी छूट का लाभ लेने के लिए पात्र है। योजना के अंतर्गत मिल खरीदी गई मात्रा के आधार पर 3200 प्रति कैण्‍डी से 5000 प्रति कैण्‍डी की छूट का लाभ ले सकते हैं।

**(ग):** उपर्युक्‍त को ध्‍यान में रखते हुए प्रश्‍न नहीं उठता।

\*\*\*\*\*